न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 12/2018

अपीलांट्स–

1. चांदसिंह पुत्र चिमनसिंह
2. पुखराजसिंह पुत्र चिमनसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी सरवड़ी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार पचपदरा
2. शंकरसिंह पुत्र रामसिंह
3. रावतसिंह पुत्र रामसिंह
4. दुर्गसिंह पुत्र रामसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र रामसिंह
6. चैनसिंह पुत्र रामसिंह
7. बंशीलाल पुत्र रामसिंह
8. भैरूसिंह पुत्र अमानसिंह
9. पपुसिंह पुत्र अमानसिंह
10. महेन्द्रसिंह पुत्र अमानसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी सरवड़ी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 217 जो दिनांक 04.03. सन शुन्य जो नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2से10 के पूर्वज रामसिंह के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 5,7व8 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम सरवड़ी के नामान्तरकरण सं. 217 पर नायब

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.03. वर्ष शुन्य के विरूद्ध दिनांक 31.01.2018 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा सरवड़ी के खसरा नम्बर 90 रकबा 23–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि बिला कब्जा मुमकीन एवं खसरा नम्बर 224 रकबा 11–08 बीघा मालाराम पुत्र झीताराम कौम नाई साकिन देह गैर खातेदार के नाम से दर्ज थी। हल्का पटवारी सरवड़ी द्वारा जरिये रेवेन्य वाद सं. 74/1972 तारीख फैंसला 22.10.73 परगना अधिकारी बालोतरा द्वारा आदेश संख्या 1799 दिनांक 30.10.73 खातेदारी हक देने पर नामान्तरकरण सं. 217 रामसिंह पुत्र मंगलसिंह कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार के नाम दायर कर नायब तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 4/3 अंकित करते हुए स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश पर अंकित दिनांक में वर्ष अंकित नहीं होने से वास्तविक दिनांक ज्ञात प्रतीत नहीं होने पर भी अपीलांट्स ने इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स के पिता चिमनसिंह एवं रेस्पोडेंट्स सं. 2से10 के पूर्वज रामसिंह सगे भाई थे जिन्होने सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद सं. 74/1972 प्रस्तुत कर मौजा सरवड़ी के खसरा नम्बर 90 व 224 रकबा क्रमशः 23–10 बीघा एवं 11–08 बीघा भूमि खातेदारी में घोषित करने का निवेदन किया गया। वादीगण का वाद दिनांक 22.10.1972 को स्वीकार किया जाकर वादीगण को उक्त खेतों का खातेदार घोषित किया गया। सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा पारित डिक्री के अनुसार अधिनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकारी नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांट्स के पिता चिमनसिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल रेस्पोडेंट्स सं. 2से10 के पूर्वज रामसिंह के अकेले के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये बिना उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं तथा यह नामान्तकरण स्वीकृति आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य हैं।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता चिमनसिंह एवं रेस्पोडेंट्स सं. 2से10 के पूर्वज रामसिंह का वादग्रस्त खेतों की भूमि में 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी का था तथा वे अपने जीवनकाल में अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज थे परन्तु अधिनस्थ अधिकारी ने कब्जे की जांच किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेशा पारित किया हैं जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से पर अपीलांट्स व 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेंट्स सं. 2से10 काबिज हैं किंतु दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में वादग्रस्त खेतों में अपीलांट्स अपने हिस्से पर बोरड़ियों का पाला झाड़ रहे थे तो रेस्पोडेंट्स ने आकर कहा कि इन खेतों में आपका नाम नहीं हैं तथा अब आपको काश्त नहीं करने देंगे। अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के बारे मे जानकारी करने पर बताया कि वादग्रस्त खेतों की भूमि में आपका या आपके पिता का नाम दर्ज नहीं हैं। इस पर राजस्व वाद एवं उसके निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 15.01.2018 को प्राप्त की गई, तब ज्ञान हुआ कि वाद के निर्णय अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हुआ हैं। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.01.2018 को होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध होने से उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं तथा इसके लिये मयाद विधिनुसार बाधित नहीं हैं, फिर भी विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 217 निरस्त किया जाकर राजस्व वाद सं. 74/1972 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.1973 की पालना में विधि अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. रेस्पोडेंट सं. 5,7व8 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब यह प्रकट किया कि अपीलांट सं. 1 पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे हैं व ग्राम पंचायत सरवड़ी में पंच के पद पर निर्वाचित हुए हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी इन्हे प्रारम्भ से ही थी तथा वादग्रस्त भूमि में इनके पिता चिमनसिंह द्वारा अपनी मर्जी से ही छोड़ दिया था। अपीलांट्स द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति के करीब 45 वर्ष के असाधरण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो किसी भी दशा में श्रवण योग्य नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी के जो तथ्य बताये गये हैं वह कतई विश्वास काबिल नही होकर सरासर मनगढ़त हैं। अपील की सुनवाई से पूर्व मयाद के बिन्दु पर निश्चय हेतु अपीलांट्स की ओर से एक–एक दिन के विलम्ब का ठोस एवं तथ्यपरक कारण प्रकट करना माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय में निर्धारित किया गया हैं। अपीलांट्स ने यह अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की हैं तथा इतनी लम्बी समयावधि तक वे अपने हक–अधिकार के प्रति उदासीन रहे हैं तो विधि के किसी प्रावधान के अन्तर्गत इन्हे अब अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की यह अपील मयाद के बिन्दु पर ही कतई स्वीकार योग्य नहीं हैं, जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 217 सहायक कलक्टर बालोतरा के द्वारा राजस्व वाद सं. 74/1972 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.1973 की पालना में दायर किया गया हैं जिसका उल्लेख कॉलम सं. 14 में स्पष्ट रूप से किया गया हैं। सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद में वादीगण के रूप में रामसिंह वल्द मंगलसिंह व चिमनसिंह वल्द मंगलसिंह जाति पुरोहित साकिन सरवड़ी अंकित हैं तथा निर्णय दिनांक 20.10.1973 के अंतिम पैरा में अंकित किया गया हैं कि–

"अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादीगण को खेत खसरा न0 90 व 224 रकबा क्रमशः 23/10 बीघा व 11/13 बिस्वा वाके सरवड़ी में खुद काश्त (सासणदार) होने के नाते खातेदार घोषित की जाती है, डिक्री पर्चा मुर्तिब हो, खर्चा फरीकेन अपना अपना बरदास्त हो, रेकर्ड में अमल दरामद हेतु सबंधित अधिकारीगण को निर्देश दिया जावें।"

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस प्रकार स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण रामसिंह व चिमनसिंह दोनो के नाम खातेदारी में घोषित की गई है तथा इसी निर्णय एवं डिक्री का विवरण अंकित करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल रामसिंह के नाम दायर किया गया हैं तथा नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा इस तथ्य की जांच किये बिना इसे स्वीकृत कर दिया गया। अब जहां तक इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में मयाद का प्रश्न हैं तो अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि न्यायालय निर्णय को अनदेखा करते हुए अवैध रूप से पारित आदेश प्रारम्भ से शुन्य की परिभाषा मे आता हैं जिसके लिये मयाद बाधित नहीं हैं। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर आरआरडी 1994 पेज 606 एवं आरआरटी 2002(1) पेज 257 के उद्धरण प्रस्तुत किये गये, जिसमे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि जहां कोई आदेश वॉयड ऐबइनिशियो हो, वहां उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। हस्तगत अपील में अभिलेखीय तौर पर साबित हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की अनुपालना में अवश्य स्वीकृत किया गया हैं किन्तु निर्णय अनुसार नहीं भरा गया हैं जो अवैध आदेश हैं तथा नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का भी कोई साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स का यह कथन कि अपीलांट सं. 1 पढा–लिखा व्यक्ति हैं इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध एवं प्रारम्भ से शुन्य आदेश की परिधी में आने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौजा सरवड़ी के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 217 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समग्र दस्तावेजों की जांच एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न करें। इसके साथ ही अपीलाधीन नामान्तरकण के अवलोकन से एक तथ्य यह भी प्रकट हुआ

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं कि विवादित खसरा नम्बर 224 रकबा 11–08 बीघा भूमि नामान्तरकरण के कॉलम सं. 5 में मालाराम पुत्र झीताराम कौम नाई सा0 देह गैर खातेदार के नाम से दर्ज थी जबकि सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय एवं डिक्री में इस पक्षकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं, लिहाजा इस तथ्य को भी मद्देनजर रखते हुए जांच की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:29:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: